

आवश्यक  
पंचायत आम निर्वाचन, 2021



राज्य निर्वाचन आयोग,  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

पत्र संख्या - पं.नि. 30-279/2021 - 4575

प्रेषक,  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,  
सभी जिला पदाधिकारी -सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 28.9.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 - चरणवार 'बल प्रतिनियुक्त योजना' (Force Deployment Plan) प्रेषित करने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग के पत्रांक 4293 दिनांक 23.09.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर निष्पक्ष, पारदर्शी, शान्तिपूर्ण एवं सहभागितापूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मतदान केन्द्र भवन, कलस्टर, नियंत्रण कक्ष, वज्रगृह एवं विभिन्न प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, सेक्टर पदाधिकारी, पी.सी.सी.पी., जोनल पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जानी है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रपत्र में 'बल प्रतिनियुक्त योजना' (Force Deployment Plan) संबंधी सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक चरण के मतदान के दो दिन पूर्व आयोग को भेजना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,  
सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-279/2021- 4575 पटना, दिनांक - 28.9.21  
प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर पत्र अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-279/2021- 4575 पटना, दिनांक - 28.9.21  
प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-279/2021- 4575 पटना, दिनांक - 28.9.21  
प्रतिलिपि प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

28.9.21

पंचायत आम निर्वाचन, 2021

बल प्रतिनियुक्त योजना (Force Deployment Plan) संबंधी सूचना

प्रखंड का नाम -

जिला का नाम -

पंचायतों/ई.वी.एम. कल्स्टर की संख्या -

मतदान केन्द्रों की संख्या -

मतदान भवन की संख्या -

विषय	संख्या	प्रतिनियुक्त का मापदण्ड	प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी की संख्या	प्रतिनियुक्त पुलिस बल की संख्या	अभियुक्ति
1. मतदान भवन (स्टैटिक बल)					
2. पी.सी.सी.					
3. ई.वी.एम. कल्स्टर					
4. जोनल पदाधिकारी के साथ					
5. प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर नियंत्रण कक्ष					
6. थाना रिजर्व					
7. क्यू.आर.टी.					
8. बॉर्डर सिलिंग जिला और प्रखंड					
9. वज्रगृह हेतु					
कुल					

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर